



राष्ट्रीय / मेगा / विशेष लोक अदालत के समक्ष

स्थान—व्यवहार न्यायालय, खगड़िया / गोगरी

(विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम, 1987 की धारा 19 के अधीन नालसा के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार, खगड़िया द्वारा आयोजित)

वाद संख्या M.S. Case No-26/25

..... Priyanka Kumari

याची / वादी / परिवादी

विरुद्ध

..... Deepak Kumar

प्रतिवादी / प्रत्यर्थी

उपस्थित— पीठ के न्यायिक सदस्य का नाम: श्री मंगेश कुमार शिवदी

गैर न्यायिक सदस्य का नाम—1 श्रीमती रेखा कुमारी

²
Aenah no-01
अधिनिर्णय

पक्षकारों के बीच विवाद को राष्ट्रीय / मेगा / विशेष लोक अदालत के समक्ष अवधारण के लिए निर्दिष्ट किया गया है और पक्षकारों ने विवाद / मामले को आपसी समझौते के द्वारा सुलझा लिया है। अतः समझौते की शर्तों के अनुसार निम्नलिखित अधिनिर्णय पारित किया जाता है:—

उपपक्ष इस बात पर सहमत हैं कि, आपसी सहमति से विवाह-विच्छेद की डिक््री प्राप्त करेंगे। विवाह-विच्छेद की डिक््री प्राप्त करने के पूर्व दीपक कुमार (पति), प्रियंका कुमारी के एक मुश्त समझौते की शर्तों के तहत पंच लाख रुपये का भुगतान करेंगे। जिसमें से 50,000/- रुपये का भुगतान आज ही कर दिया जा रहा है शेष शर्तों का भुगतान क्रमशः दो लाख एवं छह लाख रुपये का 0.0 प्रियंका कुमारी को दिए जाएंगे। शेष 0.0 रु 12-05-26 तक परिवार न्यायालय खगड़िया में दीपक कुमार प्रस्तुत कर दिए जाएंगे। जिसमें से दो लाख रुपये का 0.0 आपसी सहमति से प्राप्त होने वाले विवाह-विच्छेद की धानिका की प्रथम सुनवाई के समय प्रियंका कुमारी को प्राप्त होंगे। शेष दो लाख रुपये का 0.0 प्रियंका कुमारी को द्वितीय सुनवाई के समय कर दिया जाएगा। उपपक्ष के मध्य वैवाहिक जीवन के दौरान लैंगिक (सी प्रॉब्लम) का निराकरण आपसी सहमति के आधार पर हुआ है। उपपक्ष द्वारा परामर्श प्रमाण प्रस्तुत किया जाता है पक्षकारों को सूचित किया जाता है कि किसी पक्षकार द्वारा यदि न्याय शुल्क का भुगतान किया गया है तो न्याय शुल्क उस पक्षकार को वापस किया जायेगा।

प्रियंका कुमारी

याची / वादी / परिवादी

Mangesh Kumar

न्यायिक सदस्य

तिथि.....



Deepak Kumar

सदस्य

Adv

09/05/26

दीपक कुमार

प्रतिवादी / प्रत्यर्थी

सदस्य